FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): कोटपूतली-बहरोड़ | P.S. (थाना): प्रागपुरा | Year (वर्ष): 2023

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0476 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 06/09/2023 08:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	166
2	भा दं सं 1860	166A
3	भा दं सं 1860	167
4	भा दं सं 1860	177
5	भा दं सं 1860	187
6	भा दं सं 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन | Date From (दिनांक से): 01/09/2021 | Date To (दिनांक तक): 15/08/2023

Time Period (समय अवधि): पहर | Time From (समय से): 00:00 बजे | Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/09/2023 | Time (समय): 20:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 059 | Date & Time (दिनांक एवं समय) 05/09/2023 20:19:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): दक्षिण, 3 किमी | Beat No. (बीट सं.) : पावटा-ए

(b)Address(पता): PAOTA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAO DHANVEER

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAO DASRAJ

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1973

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HOUSINGH BOARD KOTPUTLI, प्रागपुरा, कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	HOUSINGH BOARD KOTPUTLI, प्रागपुरा, कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-7015494018

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MURLIDHAR YADAV AND OTHAR			1. PAOTA,प्रागपुरा,कोटपूतली-बहरोड़,राजस्थान,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए इन्साफ हक है, खैरात नही Fiat Justitia Ruat Caelumकानून संप्रभु का आदेश है और लोकतंत्र मे जनता ही संप्रभु है। पत्रांक - राव परिवाद 254/2023 दिनांक 22 अगस्त, 2023प्रेषित श्री बजरंग लाल स्वामी आर ए एस, उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट पावटा, जिला- कोटपूतली बहरोड राज मोबाइल व्हाट्सएप नंबर- 9460081140, ईमेल sdo.paota.jpr@gmail.comविषय:इत्तिला तहत धारा-154 (1) Cr.P.C. सहपठित धारा-31 (1) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 बाबत संज्ञेय अपराध पर F.I.R. दर्ज करवाने बाबत मस्कने जुर्म कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली बहरोड क्षेत्राधिकार पुलिस थाना- प्रागपुरा, जिला- कोटपूतली-बहरोड. (राज.) विरुद्ध 11. श्री मुरलीधर यादव पुत्र बिरदू राम गांव अमरपुरा डाकखाना नाथावाला वाया शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान 303103 पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड. (राज.) मोबाइल नंबर - 9413387490 आरटीआई अधि. धारा 5 (1) 1. श्री सुरेस कसाना हाल- सहायक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली- बहरोड. (राज.) मोबाइल नंबर - 9829108897 (आरटीआई अधि धारा 5(5)3. श्री सुभास चंद यादव वल्द नामालूम,उम्र-नामालूम पूर्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर (राज.) मोबाइल नंबर - 8385801282 आरटीआई अधि धारा 19(1) 4. श्री राम बिहारी पारीक वल्द नामालूम हाल- प्रभारी, (प्रथम अपील) कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर राजस्थान मोबाइल नंबर - 9414265780(आरटीआई अधि धारा 5(5)5. आपराधिक षडयंत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य अभियुक्तगण बाजुर्म अजरूय दफा 166, 166A, 167, 176, 177, 186, 187, 188, 228, amp 420 भा.द.स 1. अपील आदेस पत्रांक 449-449 दिनांक 01 सितम्बर 2021 2. अपील आदेस पत्रांक 451 452 दिनांक 01 सितम्बर 2021 . 3. अपील आदेस पत्रांक 518- 519 दिनांक 27 अक्टूबर 2021 व 4. अपील आदेस पत्रांक 672 -673 दिनांक 19 मई 2022 5. अपील आदेस पत्रांक 731- 732 दिनांक 14 जून 2022 6. अपील आदेस पत्रांक 764 -765 दिनांक 07 जुलाई 2022 1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बउनवानी 34अमानुल्लाह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2016) एआईआर (एस सी) 1871-34 वाद के फैसले मे यह निर्धारित कर रखा है कि अपराध की जानकारी होने पर दोषी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार की ओर से खंड स्तर पर श्रीमान आप मूलचंद लूनिया उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्टेट पावटा, जिला-कोटपूतली बहरोड राज द्वारा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। लिहाजा उक्त पुलिस थाना- प्रागपुरा, जिला- कोटपूतली- बहरोड (राज.) आप जनाब के मातहत कार्यरत होने से और आपको सूचना देने के बाद इस बाबत अभियोजन दर्ज करवाना आपकी विधिक जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के सन्दर्भ मे 2. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.22 (12 प्रसू.प्र.अ.सू2010 दिनांक 20 दिसंबर 2010. महोदय,बेहद संगीन जुर्म के बाबत मुक़म्मल दस्तावेजी साक्ष्यो सहित यह दरख्वास्त निम्नलिखित प्रकार पेश अर्ज है1. यह कि परिवादी प्रार्थी द्वारा उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भो मे इत्तिलादाता अपने साथ कारित हुए संज्ञेय अपराध एवं आपराधिक षडयंत्र पर F.I.R. दर्ज करवाने बाबत यह इत्तिला निम्नप्रकार निवेदन करता है 2. यह कि परिवादी प्रार्थी द्वारा अभियुक्त संख्या 1 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियम अनुसार आवेदन करने पर अभियुक्त संख्या-2 से मिलीभगत कर कोई भी जवाब नही दिया गया। जिस पर परिवादी प्रार्थी द्वारा अभियुक्त संख्या 3 व 4 के यहा पर नियमानुसार आरटीआई की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रेषित की गई। उक्त अभियुक्त संख्या-3 के आदेश की पालना अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा स्वय को सदोष लाभ और प्रार्थी को सदोष हानि कारित करने की नियत से आज दिनांक 15 अगस्त, 2023 तक जानबूझकर नही कि गई जिस संदर्भ मे निवेदन है 3 यह कि अभियुक्त संख्या3 श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य जिला शिक्षाधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, द्वितीय तल, ब्लॉक

संख्या - 7 डॉ एस राधाकृष्णन शिक्षा संकल II N मार्ग जयपर (राज) के कार्यालय 6. अपील आदेस पत्रांक 764-765 दिनांक 07 जुलाई, 2022 आदेश प्रार्थी परिवादी की अपीलो पर सुनवाई करने के बाद उचित आदेश पारित किए गए।4 यह कि अभियुक्त संख्या - 1 व 2 द्वारा स्वय को सदोष लाभ तथा प्रार्थी को सदोष हानी कारित करने की नियत से जानबूझकर आदेशित रिकॉर्ड दस्तावेज नही दिए गए जो सीधा-सीधा अप्राधिकृत की श्रेणी मे आता है।5 यह कि अभियुक्त संख्या-3 व 4 द्वारा जारी आदेश की अक्षर से अक्षर पालना करने के लिए अभियुक्त संख्या1 व 2 बाध्य थे अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा उच्च अधिकारी (अभियुक्त संख्या 3) के आदेश की पालना न करके उच्च अधिकारी के उचित आदेशो की अवहेलना कारित की गई। अप्राधिक कार्रवाई योग्य है।6 यह कि अभियुक्त संख्या-3 व 4 (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के आदेश की पालना करने के संदर्भ मे माननीय सूचना आयोग द्वारा नजीर आदेश पूर्व मे जारी कर रखे जिसमे माननीय आयोग ने कहा है कि अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिया गया, वह सही है या गलत है (२) सूचना अधिकारी निर्णय अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है । के गणेशन वि डाक विभाग, अपील क्रमांक 440 ICPB2007 Dated 07-05-2007, P-682 राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय पालन करने के लिए बाध्य, नही तो शासित आरोपित होगी, उड़ीसा सूचना आयोग ने कहा है किThe PIO refuse information about the FAA ordered to finish it to the appellant. The PIO did not comply appeal considered by the commission as complaint. Held, that the PIO has Ho locusstandi to sit over the judgement of the AA under the act in the eye of law The following direction were givel11a)The PIO is it directed to implement the decision of the first b) appeal authority in their two letter and Street without fall before 25-05-2006 and compliance to the commission. the event of failure he will be personally liable to pay fine under section 20 (1)Sri Surya Narayan Sahu versus vs manager btt compare IO ESIC appeal no. 08 of 2005 date of decision 02-05पेज नंबर 182 2006. Odisha information commission 7यह कि श्रीमान यह तो स्वभाविक है कि अपने उच्च अधिकारी के दिए गए कार्यालय आदेश की पालना करना संबंधित अधिकारी का दायित्व है। आदेश की पालना नहीं करना सीधा सीधा भा.द.स. धारा 176,177, 186,187,188 228 का अपराध है। 8. यह कि उक्त आवेदनो मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पूर्णतथा जनहित मे है 9 यह कि उक्त अभियुक्त संख्या-1 व 2 का रवैया सूचना अधिकार अधिनियम भारतीय विधान के प्रति गंभीर नही है।मानिद की रोशनी मे संदेह से परे दुर्भावनापूर्ण साबित होते है लिहाजा किसी अधिनियम की धारा-21 का संरक्षण उक्त अधिकारी को नही हो सकता है और ना ही ऐसे विधिविरुद्ध आचरण को धारा197 Cr.P.C. का संरक्षण ही हासिल होता है चूंकि उक्त तमाम अपराध एक से अधिक अधिनियमो मे कार्यवाही अपराध के लिए आधार उत्पन्न करते है लिहाजा भारत के संविधान के अनुच्छेद20 (2) और धारा-300 Cr.P.C. का संरक्षण भी अभियुक्तगण को हासिल नही है 12 माननीय राष्ट्रीय सूचना आयोग दिल्ली ने हरीश कुमार विरुद्ध नगर निगम दिल्ली सीआईसी डब्ल्यूबी ए /2007-00263 निर्णय दिनांक 18 फरवरी 2008 मे कहा है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता 1807 के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अपराधिक कार्रवाई की जा सकेगी, उसे अधिनियम के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किए जाने की शक्तिया प्राप्त है हरीश कुमार विरुद्ध नगर निगम दिल्ली सीआईसी डब्ल्यूबी ए 2007-00263 दिनांक 18 फरवरी 2008 13. यह कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का कार्य अर्ध न्यायिक कार्य की श्रेणी मे आता है। और वह आवेदन तथा अपील का निस्तारण करते वक्त जुडिशल माइंड का इस्तेमाल करते है उक्त आवेदन तथा प्रथम अपील की जांच करने के बाद अपने आदेश जारी करते हैं। उक्त कृत नियम अनुसार सही ढंग से नही करने पर धारा 466,166ए आईपीसी लागू हो जाती है ।14 यह कि अभियुक्त संख्या3 व 4 के आदेश की पालना उक्त अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा नही करने पर उक्त अभियुक्त संख्या 1 व 2 व अन्य के विरुद्ध मुकामी पुलिस थाना मे अविलम्ब अजरूय दफा 166, 166A भा.द.स. में फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाना अभियुक्त संख्या - 3 श्री सुभास चन्द यादव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एव प्रथम अपीलीय अधिकारी जयपुर) की जिम्मेदारी थी5 यह कि परिवादी प्रार्थी द्वारा बार-बर अभियुक्त संख्या-3 व 4 को लिखने पर भी उन्होंने आज दिनांक तक कोई भी कानूनी कार्रवाही आरोपियों को लाभ देने की नियत से अमल मे जानबूझकर नही की गई है16 यह कि अभियुक्त संख्या 3 व 4 द्वारा अपने अधीनस्थ अभियुक्त संख्या 1 व 2 को सदोष लाभ कारित करने की नियत से जानबूझकर उनके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल मे नही लाई गई जो उनका कृत धारा 166 166a 217 अन्य भारतीय दंड संहिता के अतर्गत अपराधिक कृत की श्रेणी मे आता है17 यह कि उक्त आदेशो की पालना अभियुक्त संख्या-1 व 2 द्वारा नही करने पर प्रार्थी परिवादी सरेआम नुकसान हो रहा है इसलिए अब मुझ प्रार्थी परिवादी द्वारा एफ आई आर दर्ज कराने के अलावा और कोई रास्ता नही है। अब एफआईआर दर्ज कराना प्रार्थी का दायित्व है18 यह कि अभियुक्तगण चूंकि I.P.C. की धारा-21 की तारीफ मे एक लोकसेवक है और राजस्थान सरकार की मलाजिमा है लेकिन अभियक्ता संख्या-1 ने सरकार के आदेश खुद ताईद हो जाते है। अभियुक्त संख्या 1 व् अन्यो के पास ऐसा कोई विधिक अधिकार नही है कि वह अपने देश व् राज्य सरकार के विधान के निर्देशो की अनुपालन करने के बजाय अन्य कोई मनमाना तौर-तरीका इस्तेमाल कर आदेशो की अवज्ञा करे किन्तु प्रार्थी परिवादी को हर मुमकिन तौर पर हानि कारित करने को आमादा अभियुक्त संख्या1 व् अन्यो नें उक्त

वर्णित अपराधो को करने से तनिक भी गुरेज नही किया अभियुक्त संख्या 1 द्वारा दिया गया उक्त विधिविरुद्ध जवाबी पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है 19 यह कि हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी परिवादी ने अधिनियम के विधिक उपबंधों का एकदम सपाट एव सटीक प्रयोग किया है चाहे वह अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करना हो या धारा-7 के अधीन अभियुक्तगणो द्वारा अपराधिक कृत करने के कारण अभियुक्त -1 द्वारा किये गए विनिश्चय को धारा-19 की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर करना या आयोग के समक्ष द्वितीय अपील अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (3) के अधीन भी विधिक उपबंधो के विधान के चलते ही नही की, जो यह दर्शाती है कि प्रार्थी परिवादी विधि का सम्यक पालन करता है और साथ ही आयोग जैसे विधिक निकाय के बेशकीमती वक्त को बर्बाद नही करना अपना कर्तव्य मानता है20 यह कि यह कि अधिनियम की धारा-21 यह उपबंध करती है34Section 21 Protection of action taken in good faith No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made there under34जाहिर है कि अधिनियम मे संरक्षण केवल सद्भावपूर्वक (in good faith) की गयी या की जानी आशयित किसी कार्यवाही के मामले मे प्रदत्त है और सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही को इस अधिनियम में तो नही मगर I.P.C. की धारा 52 मे निम्नप्रकार परिभाषित किया गया है 11 3452 -Good faith Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention 21. यह कि उक्त मानिद प्रकरण हाजा मे 39anything which is in good faith done or intended to be done39 की दायरे में आने के लिए अभियुक्त का कृत्य: done or believed without due care and attention39 के दायरे मे आना चाहिए जिसके लिए अव्वल तो अभियुक्त को अपने लोकसेवकीय पदीय कर्त्तव्य को निभाना यह कि अधिनियम की धारा 23 यह विधान करती है34Section 23 Bar of Jurisdiction of courts No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act34लेकिन हस्तगत प्रकरण हाजा में चूंकि अधिनियम की धारा-7 के विधिक उपबंधो के विरुद्ध अभियुक्ता संख्या-1 के अपराधिक कृत करने के चलते प्रार्थी परिवादी द्वारा प्रथम अपील दायरनही की प्रार्थी परिवादी ने अभियुक्तो द्वारा देश के विधान की अवज्ञा करने राजकोष का गहन गबन करने एवं प्रार्थीपरिवादी को सदोष हानि पहुंचाने के चलते हस्तगत मुक़द्दमा दर्ज करवाया है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण मे अधिनियम की धारा-23 के उपबंध कही भी आकर्षित नही होते हैं लिहाजा माननीय न्यायालय को हस्तगत परिवाद मे अभियुक्त के उक्त वर्णित आचरण के विरुद्ध पेश किया गया है ना कि किसी आदेश या विनिश्चय को चुन्नौती देते हुए लिहाजा हस्तगत प्रकरण मे ऐसा कोई आदेश प्रश्नगत नही है (no such order is in question) 23 यह कि हस्तगत प्रकरण मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो घटनाक्रम एव विधि के सहज पठन एवं विवेचन से जाहिर है कि अभियुक्ता संख्या 1 द्वारा उक्त मानिद एक लोकसेवक होने के नाते विधि के निर्देशों का पालन करने हेतु विधिबद्ध होने के बावजूद खुद और अपने मातहत अन्य अभियुक्तगण को उनके किये गए अपराधों से बचाने के लिए आपराधिक षडयंत्र रचकर बाइरादा धोखाधड़ी करते हुए, प्रार्थी परिवादी को हानि कारित करने के लिए देश के विधान एवं राजस्थान सरकार के सम्यक रूप से दिए गए आदेश की अवज्ञा कारित करते हुए प्रार्थी/परिवादी को दुर्भावनापूर्वक, बाइरादा हानि पहुंचाने के लिए विधिविरुद्ध रिपोर्ट जवाबी मंत्र प्रेषित कर धोखाधड़ी कारित की गयी है जोकि I.P.C. की धारा 120B, 166A, 1167, 188, 217,420,465,466, 467, 468 एवं 471 I.P.C. एवं धारा-69A एवं 74 प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के दायरे में आते है की तारीफ मे आती है जिसके लिए सूचना उक्त न्यायिक रहनुमाई मे उक्त तमाम अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया जाना सर्वथा न्यायोचित है। दायरे में आते है 24 यह कि आप जनाब खुद भी लोक सेवक की परिभाषा के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 34अमानुल्लाह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2016) ए आई आर (एस सी) 1871 वाद के फैसले में यह निर्धारित कर रखा है कि अपराध की जानकारी होने पर दोषी के विरुद्ध34 मुकदमा दर्ज करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। लिहाजा राजस्थान सरकार की ओर से खंड स्तर पर श्रीमान द्वारा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। लिहाजा उक्त पुलिस थाना कोटपूतली 26 यह कि श्रीमान आप, एसएचओ पुलिस थाना प्रागपुरा जिला- कोटपूतली-बहरोड (राज) को विधिक कार्रवाही (एफ.आई.आर. दर्ज) करने हेतु आदेशित करे।अत दरपेश आपसे गुजारिश है कि क जनाब द्वारा उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध अविलंब अजरूय दफा फौजदारी प्रकरण (एफ आई आर) दर्ज करवाई जावे ख प्राकृतिक न्याय के कानून अनुरूप प्रकरण हाजा मे आप महोदय द्वारा की गई मुकम्मल कार्यवाही के बाबत अर्जकुन्दा को सूचित किए जाने की कृपा करे विशेष निवेदन है कि अर्जकुन्दा को अपने इस दरखास्त परिवाद पर आप जनाब द्वार फरमाई गई कार्यवाही के बाबत मुझ अर्जकुन्दा की ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर सूचित किया जावे।अ. अर्जकुन्दा को नाहक अतिरिक्त धन एवं श्रम की हानि से बचाने के लिए किसी भी मानिद मसला हाजा मे सूचना का अधिकार एवं अन्य किसी विधान के जरिए प्रगति जानने को मजबूर नही किया जावे।अतः दरपेश गुजारिश है कि उक्त अभियुक्तगण के खिलाफ अजरूय दफा मुकद्दमा (एफ.आई.आर. दर्ज) दर्ज कराने के एसएचओ, पुलिस थानाप्रागपुरा, जिला- कोटपूतली-बहरोड (राज.) को एफ. आई. आर. दर्ज करने हेतु आदेशित करने की मेहरबानी फरमावें ताकि अभियुक्तगणों को बाद चालान उक्त आपराधिक कृत्यो

के लिए माननीय न्यायालय से कठोरतम दंड से दण्डित करवाया जा सके संलग्न उपरोक्तानुसार दिनांक 15 अगस्त 2023. सादर अर्ज कुनंदा Dady (राव धनवीर सिंह) मकान नंबर 02 आई 40 आरके पुरम हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली जिला जयपुर राज. Mo.No.- 7015494018 email - raodhanbeersingh@gmail.com नोट1. उक्त इंगित कागजात इस दरख्वास्त के संलग्न है2. शेष दस्तावेज / रिकॉर्ड / साक्ष्य दौराने अनुसन्धान पेश कर दिए जावेगे। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पावटा जिला कोटपुतली बहरोड क्रमांक राजस्व/2023/1279-80 दिनांक 4/9/23 थाना अधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा विषयः-इतिला तहत धारा-154(1) सीआरपीसी सहपीठत घरा-31 राजस्थान पुलिस अधिनियम 2027 बाबत संज्ञेय अपराध पर FIR दर्ज करने बाबत। उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री राव धनबीर सिहं नंबरदार निवासी वासी मकान नंबर 02/आई/40 आर के पुरम हाउसिंग बोर्ड कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड राजस्थान के प्रकरण के संबन्ध मे विरुद विधिक कार्यवाही की जाकर कार्यालय हाजा को अवगत करावे। सलंग- उपरोक्त अनुसार एसडी उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपुतली बहरोड क्रमांक राजस्व /2023 प्रतिलिपी-श्री राव धनबीर सिहं नंबरदास निवासी मकान नम्बर 2/आई/40 आर के पुरम हाउसिगं बोर्ड कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड राजस्थान को सुचनार्थ एसडी उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपुतली बहरोड --------कार्यवाही पुलिस---प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट जरिये डाक कार्यालय श्रीमान उपखण्ड महोदय पावटा से अन्तर्गत धारा 154(3) CRPC के तहत मिन जानिब मुस्त. श्री राव धनवीर सिहं पुत्र श्री राव देशराज सिहं जाति यादव R/O मकान न.02/आई/40/आर के पुरम हाउसिंग बोर्ड कोटपुतली थाना कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड की प्राप्त हुई जिसकी नकल CCTNS कम्प्युटर मे अक्षर श अक्षर की गई मजमुन रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 166,166A,167,177,187,420 IPC का पाया जाने पर तफ्तीश श्री राजवीर सिहं SI के जिम्मे की गई प्रतिया FIR नियमानुसार जारी कर एक प्रति निःशुल्क मुस्तगीस को दी गई।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): RAJVEER SINGH **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Girdhari Lal Gurjar
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/09/2023 08:57:06

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Girdhari Lal

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)